भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 978
गुरुवार, दिनांक 27 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>छत पर लगाई जाने वाली सौर प्रणाली</u>

978. श्री संजय सेठः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद देश में छत पर लगाई जाने वाली सौर प्रणाली में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में छत पर लगाई जाने वाली सौर प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): रूफटॉप सौर कार्यक्रम के चरण-I जिसे दिसम्बर, 2015 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, के अंतर्गत वर्ष 2019-20 तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से आवासीय, संस्थागत, सामाजिक और सरकारी क्षेत्रों में 2100 मेगावाट की समग्र क्षमता मंजूर किए जाने का लक्ष्य है जिसमें से लगभग 2097.84 मेगावाट क्षमता मंजूर की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के स्पिन पोर्टल पर प्राप्त किए गए आंकड़ों के अनुसार दिनांक 21.06.2019 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 1633 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संबद्ध रूफटॉप प्रणालियों की संस्थापना किए जाने की जानकारी मिली है।

(ग) सरकार देश में रूफटॉप सौर को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. रूफटॉप सौर कार्यक्रम के चरण-I के अंतर्गत आवासीय/संस्थागत/सामाजिक क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और सरकारी क्षेत्रों में स्थापित सौर परियोजनाओं के लिए उपलब्धि से जुड़े प्रोत्साहन उपलब्ध कराना।
ii. कार्यक्रम के चरण-II के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को कार्यान्वयन एजेंसियाँ बनाया गया है और आवासीय क्षेत्र के लिए सीएफए उपलब्ध है। वितरण कंपनियों द्वारा लक्ष्य रेखा से अधिक अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।

iii. राज्यों से आरटीएस परियोजनाओं के लिए निवल/सकल मीटरिंग विनियम अधिसूचित करने के लिए अनुरोध करना। अब सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/एसईआरसी ने ऐसे विनियम और/अथवा प्रशुल्क आदेश अधिसूचित किए हैं।

iv. सरकारी क्षेत्र में आरटीएस परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए आदर्श एमओयू, पीपीए और कैपेक्स करार तैयार किया गया।

v. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में आरटीएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हाथ बंटाने और सहायता करने के लिए मंत्रालय-वार पीएसयू का आवंटन करना।

vi. स्पिन का सृजन – आरटीएस परियोजनाओं के परियोजना अनुमोदन में तेजी लाने, रिपोर्ट प्रस्तुत करने और कार्यान्वयन की निगरानी की प्रगति के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।

vii. औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों, जहाँ मंत्रालय द्वारा सीएफए/प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, को ऋण के संवितरण के लिए क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से रियायती ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना।

viii. राज्यों को रूफटॉप सौर परियोजनाओं से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल के विकास/एकीकरण और मांगों के समाकलन में सहायता करना।

*****